

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY,

सं. 160]
No. 160]

दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2009/आश्विन 22, 1931
DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2009/ASVINA 22, 1931

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 198
[N.C.T.D. No. 198

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2009

सं. फा. 3(11)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/जेएसएफ/440.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री जे. पी. अग्रवाल	संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त, मूल्य संवर्धित कर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव

FINANCE (T&E) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 14th October, 2009

No. F. 3(11)/Fin. (T&E)/2009-10/JS Fin./440.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officer, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

Sl. No.	Name of the Officer	Appointed As
1.	Shri J. P. Aggarwal	Joint Commissioner/Dy. Commissioner of Value Added Tax

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
AJAY KUMAR GARG, Jt. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2009

सं. फा. 6/24/97-न्याय/अधीक्षक लॉ/1822-1823.—एतद्वारा, आम जनता को सूचनार्थ निम्न प्रकाशित किया जाता है :—

यह पिछली अधिसूचना संख्या फा. 6/24/97-न्याय/अधीक्षक लॉ/1360-1362, दिनांक 5-8-2009 जो कि दिल्ली के अतिरिक्त अतिविशिष्ट संक भाग 4 में प्रकाशित, विस्थापन करके आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली अधिवक्ता परिषद् के 25 सदस्यों का चुनाव अधिवक्ता अधिनियम के नियमों के तहत एवं भारतीय अधिवक्ता परिषद् व दिल्ली अधिवक्ता परिषद् के द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत दिनांक दिसम्बर, 2009 व 2 दिसम्बर, 2009 को होने जा रहा है।

चुनाव कार्यक्रम

1. पदों की संख्या : 25
2. न्यूनतम पदों की संख्या जो कि अधिवक्ताओं जो राज्यों में दिनांक 27-10-2009 तक 10 सालों से नामांकित हैं, के द्वारा भरे जाने हैं : 13
3. नामांकन पत्र जमा कराने की तिथि दिल्ली अधिवक्ता परिषद् के मुख्य कार्यालय 2/6 सिरी फोर्ट इन्स्टीट्यूशनल क्षेत्र, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली : 20 अक्टूबर, 2009 प्रातः 10 बजे से 27 अक्टूबर, 2009 के मध्य सायं 4 बजे तक (कार्य दिवस व कार्यकाल के दौरान)
4. नामांकन पत्र की छंटाई की तारीख : 28 अक्टूबर, 2009 को सायं 4.00 बजे
5. नामांकन पत्र वापिस लेने की अंतिम तारीख : 3 नवम्बर, 2009 को सायं 4.00 बजे तक
6. उम्मीदवारों की सूची (परिषद् के सूचना पत्र पर लगाई जाने की तारीख) : 4 नवम्बर, 2009 को सायं 4.00 बजे
7. मतदान की दिनांक व समय : 1 दिसम्बर, 2009 (उच्च न्यायालय परिसर)
(प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक)
: 2 दिसम्बर, 2009 (तीस हजारी कोर्ट)
(प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक)
8. मतगणना की दिनांक, समय व स्थल : 4 दिसम्बर, 2009, समय 4.00 बजे सायं से परिणाम आने तक
दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर।

नामांकन पत्र नियम 8, जो कि निम्नवर्णित है, के अन्तर्गत परिषद् के मुख्य कार्यालय, 2/6, सिरी फोर्ट इन्स्टीट्यूशनल क्षेत्र, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली में 20 अक्टूबर, 2009 से 27 अक्टूबर, 2009 प्रातः (10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक) (कार्य दिवस के दौरान) के मध्य पहुंच जाने चाहिए।

नियम 8

उम्मीदवार को कैसे प्रस्तावित किया जाएगा :

1. प्रत्येक उम्मीदवार जो कि चुनाव में परिषद् के सदस्य के तौर पर खड़ा होगा एक मतदाता के द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और दूसरे मतदाता के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। नामांकन पत्र परिषद् के सचिव के पास या तो स्वयं दिया जाए या किसी अभिकर्ता के द्वारा या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अधिसूचना के नियम 6 में दी गई दिनांक से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।
2. प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ 5,000 रुपये की फीस होनी चाहिए।

सेवा में,
सचिव
दिल्ली अधिवक्ता परिषद्
श्रीमानजी,
हम.....

और जो दिल्ली में व्यवसाय
उम्मीदवार नामांकित करे

1. नाम.....
पता.....
नामांकन संख्या.....
दिनांक.....

2. नाम.....
पता.....
नामांकन संख्या.....
दिनांक.....

यदि मैं चुन लिया
उम्मीदवार का नाम

दिनांक

public

Gazet
the B
cont

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2009

1. सं. 13/17/2009/यूडी/17016.—दिल्ली वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करते हुए और मंत्री परिषद् की सिफारिशों पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी मृत्यु वित्त आयोग (इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित) गठित करते हैं, जिसमें निम्नलिखित हैं :-

श्री पी. एस. भटनागर, आईएएस (सेवानिवृत्त)

—अध्यक्ष

श्री एम. पी. माथुर, प्रोफेसर एवं समन्वयक, अग्नि (डी) जेएनएनयूआरएम, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान

—सदस्य

श्री के. एस. वाही, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (31 दिसम्बर, 2009 तक सचिव श्रम के पद के अतिरिक्त

—सदस्य सचिव

इस पद पर कार्य करेंगे तत्पश्चात् नियमित आधार पर)

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य क्रमशः अपने पद ग्रहण की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक पद पर बने रहेंगे।

अध्यक्ष पूर्णकालिक सेवा पर रहेंगे जबकि डॉ. एम. पी. माथुर आयोग की अर्शकालिक सेवा पर रहेंगे।

आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके सिफारिशें करेंगे कि :-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उगाही किए जाने वाले कर, उत्पादन शुल्क, पथकर, शुल्क की शुद्ध राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नगर निगमों/पालिकाओं के बीच वितरण, जो उनके बीच वितरण हो सकता है;
- कर, उत्पादन शुल्क, पथकर और शुल्क का निर्धारण, जो नगर निगम/पालिकाओं को सौंपा जा सकता है;
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से नगर निगमों/पालिकाओं को सहायता अनुदान; तथा
- नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय।

आयोग अपनी सिफारिश करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का ध्यान रखेगा :-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समूचे संसाधनों की स्थिति;
- उप-पैराग्राफ में नगर पालिका प्रशासन में मितव्यय की संभावनाएं जिसमें इनके विषय में विस्तृत समीक्षा शामिल होगी, प्रथम, पिछले पांच वर्ष में वार्षिक अनुमानित राजस्व के स्थान पर वास्तविक राजस्व प्राप्ति तथा अपनी मात्रात्मक एवं गुणात्मक आयामों में व्यय प्रबंधन नीतियां, दूसरा, राजस्व व्यय (जैसे मजदूरी खर्च) स्वविवेक दायित्वों तथा मूल दायित्वों पर खर्च (जैसे दिल्ली नगर निगम पार्षदों की स्वविवेक निधि) जो सफाई सड़क, रोशनी, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा बरसाती पानी नालियों के विषय में है तथा, तीसरा, उत्पादन रहित व्यय को कम करने के उपाय।
- उप-पैराग्राफ में "नगर पालिकाओं के संसाधन जुटाने में सुधार की संभावनाएं" हैं जिसमें इन बिन्दुओं पर विशेष उपायों की विशेष समीक्षा शामिल होगी, प्रथम, संपत्ति कर के दायरे को निचले स्तर तक तथा विस्तृत करना, दूसरा, कर अनुपालन में सुधार, तीसरा, बकाया राशि तथा कमियों को कम करने के लिए संग्रहण दक्षता में बढ़ोतरी करना तथा राजस्व प्राप्ति में सुधार लाना (सबल, शुद्ध तथा प्रति व्यक्ति)।
- "नगर पालिकाओं के कराधान प्रयास" में इन बिन्दुओं पर विशेष उपायों की समीक्षा शामिल है, प्रथम, कर तथा गैर-कर दरों को सुसंगत बनाना, दूसरा, नया राजस्व उत्पादन उपाय लागू करना तथा तीसरा, पिछले पांच वर्षों में प्राप्ति की कुल, प्रति व्यक्ति तथा प्रतिशत।
- पूँजी संपत्तियों का समुचित रखरखाव तथा साफ-सफाई जिसमें मार्च, 2011 के अंत तक प्लान स्कीमों के अंतर्गत बनाई गई या बनाई जाने वाली संपत्तियां भी शामिल हैं। (इसके लिए प्रदान किया गया खर्च तथा वे नियम, यदि कोई है, जिनके आधार पर विभिन्न वर्ग की पूँजी परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिये खर्च प्रदान किया जाता है तथा वह प्रणाली जिसे अनुरक्षण व्यय का पर्यवेक्षण किया जाता है, बताया जाए)।
- प्रशासन आधुनिकीकरण (जैसे ई-गवर्नेंस) तथा सेवाओं का स्तर ऊंचा करने (जिस पद्धति से व्यय मानीटर किया जा सकता है उसका उल्लेख किया जा सकता है) के लिए नगर निकायों की आवश्यकताएं।

6 नगर पालिकाओं को सौंपे गए प्रकार्यों की समीक्षा में आयोग के विचारणीय विषय संसाधनों की उपलब्धता तथा क्षमता की सीमाओं को ध्यान में रखना तथा निम्न विषयों की आवश्यकता को भी केन्द्रित करना :

- (i) संसाधन आवंटन के सुसंगत सिद्धान्तों का उपयोग करना जिसमें विभिन्न जोनों में ढाँचागत संरचना, सेवाओं तथा सार्वजनिक सुविधाओं की कमी पर जोर दिया जाए;
- (ii) राज्य सरकार तथा नगर पालिकाओं के बीच दायित्वों के दुहराव को समाप्त करना; तथा
- (iii) स्थानीय निकायों के प्रकार्यों एजेंसी अर्थात् स्थानीय निकायों द्वारा राज्य सरकार की तरफ से किए जाने वाले प्रकार्यों की जवाबदेही।

7 आयोग प्रत्येक पूर्वोक्त विषय पर 30 सितम्बर, 2010 तक उपलब्ध और 01 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ पांच वित्तीय वर्षों की अवधि संबंधित अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

8. आयोग अपने प्रतिवेदन में उन आधारों का उल्लेख करेगा जिन आधारों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचा तथा जहां तक संभव हो, सभी नगर पालिकाओं का एक साथ और ऐसे प्रत्येक निकाय के लिए अलग-अलग प्राप्तिओं और वितरण राशि के पूर्वानुमानों का उल्लेख करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. सी. मीणा, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

ORDER

Delhi, the 14th October, 2009

No. F. 13/17/2009/UD/17016.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Finance Commission Act, 1994 (Delhi Act 10 of 1994) and on the recommendation of the council of Ministers, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, constitutes the Forth Finance Commission for the National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as "the Commission") consisting of the following:—

1. Sh. P. S. Bhatnagar, IAS (retired) —Chairman
2. Dr. M.P. Mathur, Professor & Coordinator Fire(D)/JNNURM, National Institute of Urban Affairs —Member,
3. K. S. Wahi, IAS, National Institute of Urban Affairs (will hold the post in addition to duties as, Secretary Labour till December 31, 2009 and thereafter on regular basis.) —Member-Secretary

2. The Chairman and Members of the Commission shall hold office for the period commencing from the date of which they respectively assume their office, and ending on the 30th September, 2010.

3. The Chairman shall render full-time service while the Dr. M.P. Mathur shall render part-time service in the Commission.

4. The Commission shall review the financial position of the Municipalities and make recommendations as to—

(a) the principles which should govern—

- (i) the distribution between the Government of National Capital Territory of Delhi and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the Government of National Capital Territory of Delhi which may be divided between them;
- (ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to the Municipalities;
- (iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi; and

(b) the measures needed to improve the financial position of the Municipalities.

5. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations to —
- a. the overall resources position of the Government of National Capital Territory of Delhi;
 - b. 'the scope for economy in the Municipal Administration' in sub-paragraph which shall include a detailed review of : first, both actual revenue receipts against annually projected revenues in the last five years and expenditure management policies in their quantitative and qualitative dimensions; second, revenue expenditure (such as the wage bill), expenditure on discretionary responsibilities vis-a-vis core responsibilities (such as discretionary fund of MCD Councillors) related to sanitation, street lighting, primary health, primary education and storm water drains, and; third, the steps taken to compress unproductive expenditure.
 - c. 'the scope for improvements in resource mobilization by the Municipalities' in sub-paragraph which shall include a special review of measures to: first, deepen and widen the property tax base; second, improve tax compliance; third, increase collection efficiencies to reduce arrears and leakages; and fourth improve revenue receipts (gross, net and per capita).
 - d. the 'tax effort made by the Municipalities' shall include a review of specific measures to: first, rationalize tax and non-tax rates; second, introduce new revenue generating measures; and third, improve compliance as reflected in the total, per capita and percentage receipts over the last five years.
 - e. adequate maintenance and upkeep of capital assets including those created or likely to be created under the Plan schemes till the end of March, 2011 (the expenditure provided therefore and the norms, if any on the basis of which such expenditure is provided for maintenance of different categories of capital assets and the manner in which such maintenance expenditure could be monitored may be indicated);
 - f. the requirements of the Municipal bodies for modernization of administration (for example e-governance) and upgrading the standards of services (the details for such expenditure provided for and manner in which this could be monitored may be indicated).
6. The Commission's Terms of Reference to review the functions assigned to Municipalities should apart from keeping in mind the availability of resource and the limitations of capacity, also focus on the need for:
- (i) evolving rational resource allocation principles that emphasize the infrastructure, services and amenities deficit between different zones,
 - (ii) avoiding duplication of responsibilities as between the State Government and the municipalities, and
 - (iii) accountability related to "agency functions" of local bodies i.e. functions taken up by local bodies on behalf of the State Government.
7. The Commission shall make its report available by the 30th September, 2010 on each of the matters aforesaid and covering a period of five financial years commencing from 1st April, 2011.
8. The Commission shall also indicate in its report the basis on which it has arrived at its findings and indicate, as far as possible, the estimates/forecasts of receipts and disbursements for all the Municipalities together as well as separately for each of such bodies.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. C. MEENA, Jt. Secy.